न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 69 / 2024
जीसीएमएस नं. 2024 / 68

दायर दिनांक 05.06.2024
निर्णय दिनांक 29.09.2025

1. बहादुर पिता लालजी मीणा निवासी करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
2. बदा उर्फ बदामीलाल पिता लालजी मीणा निवासी करौली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

बनाम – अपीलाण्ट

1. हक्सी पिता रूपा भील
2. कमली पत्नि हक्सी भील
3. हांजा पिता थावरा भील

निवासीयान करोली तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।

4. उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।
5. तहसीलदार बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.श्री सईद जमान पठान – अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री कृष्णराज सिंह चौहान – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–:निर्णयः– **दिनांक – 29.09.2025**

1 अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या , 1, 2 व 3 गांव करोली के मूल निवासी है । आंवटन सलाहकार समिति द्वारा सन् 2021 में वादग्रस्त आराजी मौजा करोली के खसरा संख्या 1021–1035–1024 भूमि विपक्षीगण को आवंटन की गयी है। प्रार्थीगण गरीब कृषक है उनके अधिकारों एवं हितों पर कुटाराघात करके एलोटमेन्ट अधिकारी द्वारा मनमानें तरीके से एलॉटमेन्ट कर दी है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा प्रार्थीगण का बना हुआ है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

विपक्षीगण सुयक्त परिवार से सम्बन्धित है इसलिए उनको उक्त अधिनियम के तहत लालच देना अधिनियमों का उल्लघन है। वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायहित में है। आवंटन अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण नही किया गया है। अतः आवंटन खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमावें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्णराज सिंह चौहान द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षीगण को आवंटन किया है। विपक्षीगण को जो भूमि आवंटित हुई है उसमें प्रार्थीगण के अधिकारों व हितों पर किसी प्रकार से कुठाराघात नही हुआ है। आवंटन अधिकारी द्वारा विपक्षीगणों को कृषि भूमि के आवंटन हेतु पात्र पाये जाने से ही उनके नाम आवंटन किया है।

आवंटित भूमि पर विपक्षीगण वर्षो से कब्जाकाश्त है। आज भी विपक्षीगण काबिज होकर काश्त कर रहें है। वर्तमान में भी विपक्षीगण ने आवंटित भूमि पर गेहू की फसल बोई है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का पिछले करीब 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 ने थ्री फेस बिजली को कनेक्शन भी ले रखा है। आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पुत्र रमेश, पुत्र जगदीश, पुत्र मणीलाल के मकान बन हुए है। विपक्षी संख्या 1 हक्सी तथा उसके दो पुत्र रमेश तथा मणीलाल ने उक्त भूमि पर स्थित इनके मकानों में बिजली कनेक्शन ले रखे है।

विपक्षी संख्या 3 को आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 3 का ही कब्जा है। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 3 का मकान भी बना हुआ है। विपक्षीगण को आवंटित भूमि से प्रार्थीगण के भूमि अलग है तथा दूर स्थित है।

विपक्षी संख्या 1 को अपने पिता से जो हिस्सा मिला था उस पर 50 वर्षो से काबिज है। वही भूमि उसे व उसकी पत्नि विपक्षी संख्या 2 को आवंटित हुई है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 3 को अपने पिता थावरा से जिस भूमि का कब्जा मिला था उस पर वह शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है। तथा वह भूमि नियमानुसार विपक्षी संख्या 3 को आवंटित हुई है।
प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संयुक्त परिवार में न रहकर अलग–अलग रहते है। सभी के मकान व जमीन अलग–अलग है।
विपक्षीगण को आवंटित भूमि की सुरक्षा हेतु विपक्षीगण द्वारा अपनी भूमि के चारो तरफ बाड लगा रखी है जिसमें काश्त की जाती है तथा गेहू, चना आदि फसल बोई जाती है। विपक्षीगण को भूमि

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

आवंटन शिविर में आम ग्रामीणो की उपस्थिति में मजमें आम भूमि आंवटन सलाहकार समिति की सर्वसहमति से नियमानुसार भूमि आंवटन किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।.

हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या , 1, 2 व 3 गांव करोली के मूल निवासी है । आंवटन सलाहकार समिति द्वारा सन् 2021 में वादग्रस्त आराजी मौजा करोली के खसरा संख्या 021—1035—1024 भूमि विपक्षीगण को आवंटन की गयी है। प्रार्थीगण गरीब कृषक है उनके अधिकारों एवं हितों पर कुटाराघात करके एलोटमेन्ट अधिकारी द्वारा मनमानें तरीके से एलॉटमेन्ट कर दी है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा प्रार्थीगण का बना हुआ है।

विपक्षीगण सुयक्त परिवार से सम्बन्धित है इसलिए उनको उक्त अधिनियम के तहत लालच देना अधिनियमों का उल्लघन है। वादग्रस्त आराजी का आवंटन निरस्त किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायहित में है। आवंटन अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण नही किया गया है। अतः आवंटन खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार विपक्षीगण को मौजा करोली के खसरा न. 021—1035—1024 भूमि आवंटन किया है। विपक्षीगण को जो भूमि आवंटित हुई है उसमें प्रार्थीगण के अधिकारों व हितों पर किसी से कुठाराघात नही हुआ है। आवंटन अधिकारी द्वारा विपक्षीगणों को कृषि भूमि के आवंटन हेतु पात्र पाये जाने से ही उनके नाम आवंटन किया है।

आवंटित भूमि पर विपक्षीगण वर्षो से कब्जाकाश्त है। आज भी विपक्षीगण काबिज होकर काश्त कर रहें है। वर्तमान में भी विपक्षीगण ने आवंटित भूमि पर गेहू की फसल बोई है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का पिछले करीब 50—60 वर्षो से कब्जा काश्त है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 ने थ्री फेस बिजली को कनेक्शन भी ले रखा है। आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पुत्र रमेश, पुत्र जगदीश, पुत्र मणीलाल के मकान बन हुए है। विपक्षी संख्या 1 हक्सी तथा उसके दो पुत्र रमेश तथा मणीलाल ने उक्त भूमि पर स्थित इनके मकानों में बिजली कनेक्शन ले रखे है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

विपक्षी संख्या 3 को आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 3 का ही कब्जा है। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 3 का मकान भी बना हुआ है। विपक्षीगण को आवंटित भूमि से प्रार्थीगण के भूमि अलग है तथा दूर स्थित है।

विपक्षी संख्या 1 को अपने पिता से जो हिस्सा मिला था उस पर 50 वर्षो से काबिज है। वही भूमि उसे व उसकी पत्नि विपक्षी संख्या 2 को आवंटित हुई है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 3 को अपने पिता थावरा से जिस भूमि का कब्जा मिला था उस पर वह शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है। तथा वह भूमि नियमानुसार विपक्षी संख्या 3 को आवंटित हुई है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संयुक्त परिवार में न रहकर अलग–अलग रहते है। सभी के मकान व जमीन अलग–अलग है।

विपक्षीगण को आवंटित भूमि की सुरक्षा हेतु विपक्षीगण द्वारा अपनी भूमि के चारो तरफ बाड लगा रखी है जिसमें काश्त की जाती है तथा गेहू, चना आदि फसल बोई जाती है। विपक्षीगण को भूमि आवंटन शिविर में आम ग्रामीणो की उपस्थिति में मजमें आम भूमि आंवटन सलाहकार समिति की सर्वसहमति से नियमानुसार भूमि आंवटन किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।.

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड / दस्तावेज का अध्ययनपूर्वक अवलोकन किया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 2021 में रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को आराजी खसरा न. 1024 रकबा 0.16 है0, खसरा न. 1035 रकबा 0.16 का आवंटन हुआ । इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट स. 3 को खसरा संख्या 3109 / 1024 रकबा 0.0200 है0 भूमि आवंटन हुआ।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, अकंन किया है। इनके आधार पर अपीलाण्ट आवंटन निरस्त कराना चाहता है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा जो 91 के नोटिस पेश किये है उनसे यह कदापि साबित नहीं होता है की वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा करोली तहसील बिछीवाडा के खसरा न. 1024 रकबा 0.16 है0, खसरा न. 1035 रकबा 0.16 एवं खसरा संख्या 3109 / 1024 रकबा 0.0200 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

दिनेश धाकड़
अति जिला कलक्टर, डूंगरपुर

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर